

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स प्रतीमा देवी द्वारा गया जिला के अंचल-टेकारी, गया मोरहर-18 बालू घाट, ग्राम-शेरपुर और चकमथ, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-19.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-26.09.2020 को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, टेकारी, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1040/2020, दिनांक-21.07.2020 के आलोक में श्री सुमन कुमार, उप-विकास आयुक्त, गया की अध्यक्षता में की गयी।
उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक- 23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः ढुलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। खनन प्रक्रिया केवल 3 मीटर तक की गहराई या भू-गर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा। इस प्रकार भू-गर्भीय जल का खतरा शून्य रहता है। किसी प्रकार की विस्फोटक की आवश्यकता नहीं है। परियोजना का कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 25 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढुलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गों द्वारा जुड़ा है। इन मार्गों का रख-रखाव भी परियोजना प्रस्ताव सुरक्षित करेंगे। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे। सड़क मार्गों की मरम्मत नियमित रूप की जायेगी तथा कोई भी अस्थायी मार्ग बनाने के लिए ग्रामीणों व किसान भाईयों की सहमति से ही होगा। सड़क मार्ग पर वाहनों गति-सीमा पूर्व निर्धारित रहेगी जिसका उल्लंघन करने वाहन चालकों व वाहन का रिकॉर्ड रखा जायेगा व ऐसे वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। पर्यावरण प्रबंधन के सुचारू रूप से पालन के लिए खनन क्षेत्र के पास पर्यावरण

प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया जायेगा तथा समय-समय पर क्षेत्रीय निवासियों से परामर्श लिया जायेगा। खनन परियोजना के क्रियान्वयन के समय सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे मार्गो खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगायी जायेगी तथा इनपर आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के मोबाईल नम्बर उल्लेखित होंगे।

उप-विकास आयुक्त, गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। प्रत्येक नियमावली का अनुपालन किया जायेगा तथा अनुपालन न करने पर जुर्माना किया जायेगा। धूल-कण कम करने के लिए इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कराया जायेगा। बालू की ढुलाई में लगे वाहनों को तिरपाल से ढककर ही आवागमन किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं, वे अपनी बात रखें। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, पिता-श्री किशोर सिंह, ग्राम-टेकारी, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू ढुलाई से सड़क क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके लिए क्या प्रावधान है।

उत्तर- पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परियोजना के पट्टेधारक द्वारा सड़कों का रख-रखाव किया जायेगा।

2. श्री चंदन कुमार, पिता-श्री विमलेश शर्मा, ग्राम-देवधर, टेकारी, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि स्थानीय लोगों के लिए कोई शिक्षा का भी प्रावधान है या नहीं।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। लोगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण कराया जायेगा।

3. श्री नीरज कुमार, पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम-डुमरशन, टेकारी, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान बहुत धूल उड़ता है, इसके लिए क्या उपाय है।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि धूलकण को रोकने के लिए बालू ढुलाई वाले रास्तों पर दिन में तीन बार जल छिड़काव किया जायेगा तथा बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा।

4. श्री पवन कुमार सिंह, पिता-श्री गनौरी सिंह, ग्राम-बेलहरिया, टेकारी, गया द्वारा पूछा गया कि हमारे रैयती खेत में बालू आ गया है। बालू हटाने के लिए क्या करना होगा।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इसके लिए जिलाधिकारी, गया के पास आवेदन देकर तथा सहमति पत्र प्राप्त कर विभागीय प्रक्रिया पूरा करने के बाद खेतों से बालू हटाया जा सकता है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ



वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढूलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढूलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि पट्टाधारक द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। खनन नियमावली का उल्लंघन पाये जाने पर लीज धारक के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जायेगी।











अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

28-9-20
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्षद, गया।

28/9/20
उप-विकास आयुक्त
गया

उपस्थिति सूची

मे० प्रतीमा देवी, बाराचट्टी द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-टेकारी के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-18 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, टेकारी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 26.09.2020 (शनिवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुभाष कुमार उप विकास आयुक्त	गया	 26/9/20
2.	आशीष कुमार उपा अ० प०	बि० ८०५० नि० प०, पटना	आशीष 26-9-20
3.	शरद कुमार मि. सो० ए० ए० ए०	बि० २१०५० नि० प०, पटना	 26-9-20
4.	Dr. Jatin Kr. Srivastava CONSULTANT	Cucknow - 226018 UP	
5.	Enr. Nitish kumar	Patna	
6.	Jyotish Chandras	Patna.	
7.	Ranjit Kumar	Gaya	
8.	राहुल कुमार	टेकारी	राहुल कुमार
9.	आलोक कुमार	गया	
10.	निलमा नन्द शर्मा	वेसा गया	निलमा नन्द शर्मा
11.	अश्विनेश शिंदे	गदरपुर	अश्विनेश शिंदे
12.	शैलेश शर्मा	बारा	
13.	संदेश शर्मा	दूधचूड़ टिकारी	
14.	चमंडू सिंह	टेकारी वेसा गया	

15.	Anshu kumar	Belhariya	Anshu kumar
16.	निहि गमि के ए	हियत	निहि गमि के ए
17.	सिवाय रि ए	बमसुत	
18.	बिजा सुता	सुभरान	Munish Kumar
19.	Shadab	बिजा	सिवाय रि ए
20.	OMD-Hozaini-AMM	Te Kabi	Md-Hozaini
21.	DILSHAD	Belhariya	DILSHAD
22.	Shahid	Belhariya	Shahid
23.	Asif Ali	Belhariya	Asif Ali
24.	बुटन	बमसुत	बुटन
25.	विनाय सुभा	बमसुत	विनाय सुभा
26.	सुभा सुभा सुभा	बमसुत	सुभा सुभा सुभा
27.	श. अरुण सुभा	बमसुत	श. अरुण सुभा
28.	MD MAHTAB ALAM	Belhariya	(Mah all)
29.	बमसुत	बमसुत	बमसुत
30.	SUMAN KUMAR	बमसुत	बमसुत
31.	PAWAN KUMAR SINGH	Belhariya	PP
32.	सुभा सुभा	बमसुत	सुभा सुभा
33.	बमसुत लाल सुभा	Block office tekar	बमसुत 28/09/2020
34.			